न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—243 / 2017 / 225 (2017 / 00243)

मृतक घीसूलाल पुत्र जयराम गुर्जर के विधिक वारिसानः—

1. जीवणी देवी पत्नि घीसूलाल गुर्जर,
2. रतनलाल पुत्र घीसूलाल गुर्जर,
3. रामदेव पुत्र घीसूलाल गुर्जर,
4. मंगलाराम पुत्र घीसूलाल गुर्जर,
5. भंवरलाल पुत्र घीसूलाल गुर्जर,
6. शंकरलाल पुत्र घीसूलाल गुर्जर,

समस्त निवासी ब्यावर रोड़, सुभाषनगर, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 12.7.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 65 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री लेखू, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—3.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 12.7. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नागेलाव, तह0 पीसांगन के पुराने खसरा नंबरान खसरा नंबर 3621 रकबा 4—13—00, 3622 रकबा 1—09—00, खसरा नंबर 3623 रकबा 0—8—00, 3627 रकबा 0—2—0 व 3509 रकबा 4—17—00 के खातेदार हस्तीमल पुत्र सुगनचंद कौम महाजन थे । हस्तीमल की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजियात हस्तीमल के वारिस राजेन्द्र कुमार पुत्र हस्तीमल व लाड़कंवर पुत्री हस्तीमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई । लाड़ंकवर ने अपने हिस्से की भूमि के अधिकार अपने भाई राजेन्द्र कुमार को दे दिये और इस आशय का लिखित में शपथ भी लिख दिया । राजेन्द्र कुमार ने वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 14.1.1982 को अपीलांटस के पिता घीसूलाल पुत्र जयराम गुर्जर को विक्रय कर दी । उक्त हस्तातंरण का इंद्राज भू—प्रबंध अधिकारी, अजमेर ने ग्राम नागेलाव तहसील पीसांगन की जमाबंदी में कर दिया । इन इंद्राजों के आधार पर भू—प्रबंध विभाग ने राजस्थान भू—राजस्व अधि0 के नियम 21 के तहत अपीलांट के पिता का नाम का प्रमाणिक पर्चा जारी कर दिया । किन्तु जब वर्किंग जमाबंदी में पूर्व इंद्राजों को अंकित किया गया तो वर्किंग जमाबंदी में पुराने खसरा नंबर

3509 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा का इंद्राज नहीं किया गया तथा शेष भूमियों का इंद्राज कर दिया गया । जबकि अपीलांटस के पिता ने उक्त खसरा नंबर 309 भी अन्य खसरा नंबरान की भूमियों के साथ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी । वर्किंग खसरा नंबर 3509 रकबा 4–17–00 के नये खसरा नंबर 3457 रकबा 0.15 है0, 3458 रकबा 0.18 है0 व 3459 रकबा 0.46 है0 कायम किये गये है । अतः वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 12.7.2017 को अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया । प्रस्तुत प्रकरण तारीख पेशी दिनांक 17.7.2017 को निश्चित था परन्तु अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट नागेलाव में तारीख पेशी दिनांक 12.7.2017 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया जबकि उक्त प्रकरण में अपीलांट संख्या 4 ही उपस्थित थ । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पिता घीसूलाल ने मूल खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र हस्तीमल से वादग्रस्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.1.1982 के द्वारा क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था तब से विवादित भूमि पर अपीलांटस ही काबिज काश्त चले आ रहे है । भू–प्रबंध विभाग ने वर्किंग जमाबंदी बनाते समय वर्किंग खसरा नंबर 3509 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा को अपीलांटस के खाते में दर्ज नहीं किया तथा काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई जबकि भू–प्रबंध विभाग को पूर्व इंद्राज को दोहराना चाहिये था । किसी भी राजस्व न्यायालय ने खसरा नंबर 3509 रकबा 4–17–00 भूमि को काबिल काश्त भूमि दर्ज करने के आदेश नहीं दिये है । पटवारी द्वारा त्रुटिवश यह इंद्राज किया गया है । इसलिये जब तक इस त्रुटि की दुरूस्ती दावे के मार्फत नहीं हो जाती तब तक प्रस्तुत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना नितांत आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी । तत्पश्चात् राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नकल प्राप्त नहीं हो सकी थी । हड़ताल खत्म होने के बाद दिनांक 14.9.2017 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिसकी नकल अपीलांटस को दिनांक 16.9.2017 को प्राप्त होने के उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्तम् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का कथन है कि अपीलांटस के पिता ने मूल खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र हस्तीमल से ग्राम नागेलाव, तह0 पीसांगन के पुराने खसरा नंबरान खसरा नंबर 3621 रकबा 4–13–00, 3622 रकबा 1–09–00, खसरा नंबर 3623 रकबा 0–8–00, 3627 रकबा 0–2–0 व 3509 रकबा 4–17–00 भूमि जरिये पंजीकत विक्रय पत्र के दिनांक 14.1.1982 को क्रय की थी जिसकी पुष्टि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रति से होती है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का पर्चा भू–प्रबधं विभाग द्वारा अपीलांटस के पिता घीसूलाल पुत्र जयराम गुर्जर के नाम जारी किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्किंग खसरा नंबर 3509 रकबा 4–17–00 के नये खसरा नंबर 3457 रकबा 0.15 है0, 3458 रकबा 0.18 है0 व 3459 रकबा 0.46 है0 कायम किये गये है । विवादित आराजी खसरा नंबर 3509 रकबा 4–17–00 बीघा राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने से अपीलांटस ने इंद्राज दुरूस्ती का वाद अधी0न्याया0 में प्रस्तुत कर रखा है । अपीलांटस को विवादित आराजी बाबत् क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निस्तारण बाद साक्ष्य वाद में निर्णित होगा किन्तु प्रथमदृष्टया अपीलांटस के पिता तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांटस विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त है जिन्हें यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलांटस के पक्ष में पाये जाते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का आदेश दिनांक 12.7.2017 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद उभयपक्ष को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 3.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर